संख्या-14/2015/580 सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2015

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 646.50 लाख के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 2411/रा0कृ0वि0योजना/विकास, दिनांक 20.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा एस. एल. एस. सी. की बैठक दिनांक 31 मई, 2013 में समिति द्वारा गन्ना विकास के लिए वर्ष 2013-14 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना लागत की धनराशि रु0 5877.85 लाख (रू0 अटठावन करोड़ सतहत्तर लाख् पचासी हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या 376/12-3-2015-100(76)/2012, दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम परियोजना अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6,46,50,000.00 (रू0 छः करोड़ छियालिस लाख पचास हजार मात्र) को संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, एस. एल. एस. सी. की बैठक दिनांक 31 मई, 2013 में वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यों हेतु, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतदद्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या 376/12-3-2015-100(76)/2012, दिनांक 11 मार्च, 2015 में दिये गये शर्तों/प्राविधानों के अन्तर्गत समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित को प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय।

(2) गन्ना विकास द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012, दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं संख्या-2331 सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012, दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइड लाइन्स) के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2013-14 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा जनपदवार सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरादायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) संलग्न विवरण में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर के लिए उल्लिखित कार्यक्रमों का जनपदवार विवरण एवं कार्ययोजना सुनिश्चित करते हुए विवरण शासनकृषि विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जाय। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय। उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उ0प्र0 बजट मैनुअल/फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आदेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-14/2015/580(1) सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी (संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)।
2-प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
4-निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर, उ0प्र0।
5- समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- संयुक्त सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8-समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0 (संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)।
9-नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई0), उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
10-नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-14/2015/580 सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014, दिनांक 25 मार्च, 2015 का संलग्नक

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2013-14 की कार्यक्रमवार एवं जनपदवार रु० 646.50 लाख की फॉट

(धनराशि लाख रु०में)

क्र०सं०	नाम जनपद	कार्यक्रम									
		आधार पौधशाला	प्राथमिक पौधशाला	ब्रीडर शीड यातायात	आधार बीज यातायात	क्षेत्र प्रदर्शन	यन्त्र वितरण	माईक्रो न्यूटि्येन्ट	किसान मेंला	जिला/मण्डल स्तरीय उत्पादक्ता पुरस्कार	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहारनपुर	0.183	23.620	0.000	0.000	1.650	0.000	0.000	1.000	0.650	27.103
2	मुजफफरनगर	5.020	88.880	0.000	0.860	3.000	5.760	0.000	1.000	0.650	105.170
3	शामली	0.670	9.240	0.000	0.000	2.250	4.550	0.000	1.000	0.650	18.360
सहारनपुर क्षेत्र		5.873	121.740	0.000	0.860	6.900	10.310	0.000	3.000	1.950	150.633
4	मेरठ	0.440	59.790	0.190	0.060	1.000	2.910	0.000	1.000	0.325	65.715
5	गाजियाबाद	0.010	0.000	0.020	0.000	1.200	0.000	0.000	1.000	0.650	2.880
6	बुलन्दशहर	0.000	31.150	0.000	0.000	3.750	1.300	0.000	1.000	0.650	37.850
7	बागपत	0.400	37.950	0.000	0.000	2.000	0.000	2.120	1.000	0.325	43.795
8	हापुड़	0.100	21.960	0.090	0.000	1.350	0.000	0.000	1.000	0.650	25.150
मण्डल स्तरीय उत्पादक्ता पुरस्कार		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.050	1.050
मेरठ क्षेत्र		0.950	150.850	0.300	0.060	9.300	4.210	2.120	5.000	3.650	176.440
9	बिजनौर	0.000	48.210	0.000	0.000	8.850	8.310	0.000	1.000	0.650	67.020
10	रामपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.410	0.000	1.000	0.650	5.060
11	मुरादाबाद	0.000	0.000	0.000	0.000	3.150	2.630	2.500	1.000	0.650	9.930
12	अमरोहा	0.000	15.000	0.000	0.000	3.000	3.920	0.000	1.000	0.650	23.570
13	सम्भल	0.000	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.080
मण्डल स्तरीय उत्पादक्ता पुरस्कार		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.050	1.050
मुरादाबाद क्षेत्र		0.000	63.210	0.000	0.080	15.000	18.270	2.500	5.000	3.650	107.710
14	अलीगढ	0.000	9.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	10.600
15	मथुरा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16	बरेली	0.170	0.000	0.000	0.000	4.950	8.390	0.000	1.000	0.000	14.510

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	पीलीभीत	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000	3.840	0.000	1.000	0.000	10.840
18	शाहजहापुर	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	2.380	0.000	1.000	0.000	6.380
19	बदायू	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.940	1.160	1.000	0.000	6.100
20	कासगंज	0.000	4.720	0.000	0.000	0.000	1.570	0.000	1.000	0.000	7.290
बरेली क्षेत्र		0.170	14.320	0.000	0.000	13.950	20.120	1.160	6.000	0.000	55.720
21	फरूर्खाबाद	0.000	0.000	0.000	0.000	1.200	0.000	0.000	1.000	0.000	2.200
22	कानपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
23	रायबरेली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
24	सीतापुर	0.000	0.000	0.000	0.000	7.420	5.630	14.160	1.000	0.000	28.210
25	लखीमपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	16.350	0.000	0.000	1.000	0.000	17.350
26	हरदोई	0.000	0.000	0.000	0.000	3.600	0.000	0.000	1.000	0.000	4.600
लखनउ क्षेत्र		0.000	0.000	0.000	0.000	28.570	5.630	14.160	6.000	0.000	54.360
27	बाराबंकी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28	फैजाबाद	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	1.000	0.000	3.000
29	सुल्तानपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	2.622	0.000	0.000	1.000	0.000	3.622
30	जौनपुर	0.000	2.750	0.000	0.000	0.360	0.420	0.000	1.000	0.000	4.530
31	गाजीपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
32	वाराणसी	0.000	1.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.650	2.690
मण्डल स्तरीय उत्पादक्ता पुरस्कार		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.050	1.050
फैजाबाद क्षेत्र		0.000	3.790	0.000	0.000	2.982	2.420	0.000	5.000	1.700	15.892
33	बहराईच	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.650	0.000	0.000	0.000	5.650
34	गोण्डा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.470	1.000	0.325	2.795
35	बलरामपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.950	0.000	1.000	0.000	3.950
मण्डल स्तरीय उत्पादक्ता पुरस्कार		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.525	0.525
देवीपाटन् क्षेत्र		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.600	1.470	2.000	0.850	12.920
36	बस्ती	0.000	0.000	0.000	0.000	3.150	0.000	0.000	1.000	0.325	4.475
37	सिद्धार्थनगर	0.000	0.660	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.650	1.910
38	गोरखपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.325	1.325
39	महराजगंज	0.000	0.000	0.000	0.000	1.800	2.050	0.000	1.000	0.000	4.850
मण्डल स्तरीय उत्पादक्ता पुरस्कार		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.525	0.525
गोरखपुर क्षेत्र		0.000	0.660	0.000	0.000	5.550	2.050	0.000	3.000	1.825	13.085
40	कुशीनगर	0.000	0.000	0.000	0.000	8.830	0.000	0.000	1.000	0.000	9.830
41	देवरिया	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	0.000	1.000	0.000	3.700
42	मउ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
43	आजमगढ	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
44	बलिया	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देवरिया क्षेत्र	0.000	0.000	0.000	0.000	8.830	2.700	0.000	5.000	0.000	16.530
योग	6.993	354.570	0.300	1.000	91.082	74.310	21.410	40.000	13.625	603.290
गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43.210
कुल योग	6.993	354.570	0.300	1.000	91.082	74.310	21.410	40.000	13.625	646.500

नोट&1&जनपद शामली हापुड तथा सम्भल का आवंटित धनराशि का आहरण क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफफरनगर गाजियाबाद तथा मुरादाबाद द्वारा किया जायेगा तथा गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को आवंटित धनराशि कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**